# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 2176/2007/उदयपुर.**

मैसर्स जी. आर. अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लिमिटेड,
80 शाही कॉम्प्लेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर–11, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 30/03/2017**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 236/आर.एस.टी./2004–2005 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.07.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 30.06.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक जे.सी.बी. लोडर की खरीद राज्य के बाहर से की गई थी एवं इस लोडर को राज्य के बाहर से आयात करने हेतु आवश्यक घोषणा पत्र एस.टी.18ए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जारी किया गया था एवं उक्त लोडर का अपनी बहियात में इन्द्राज किया गया था, परन्तु जे.सी.बी. लोडर जो कि एक मोटर व्हिकल के रूप में पंजीकृत होने से एवं दी राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हिकल्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1988 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) में किये गये प्रावधानानुसार इस अधिनियम में कर योग्य होने से तथा विहित समय में कर जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 व 6 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2004 पारित कर देय प्रवेश कर आरोपित किया गया एवं व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर जमा नहीं करवाने के अभियोग में करापवंचन के अपराध में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत रूपये 25,000/– की शास्ति भी आरोपित की गयी जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करते हुए निर्धारित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

**लगातार.....2**

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी की कर नहीं देने की कोई मंशा नहीं थी बल्कि उनके द्वारा केवल अज्ञानता से आवश्यक घोषणा पत्र ई.टी.1 प्राप्त नहीं किया गया बल्कि बिक्री कर अधिनियम के तहत घोषणा पत्र एस.टी.18ए जारी करते हुए जे.सी.बी. लोडर का आयात किया गया था जिसे उनके द्वारा अपनी लेखा—पुस्तकों में दर्ज किया हुआ था। विद्वान अभिभाषक ने कर एवं ब्याज के बिन्दु पर बल नहीं दिया परन्तु प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 25,000/— को अपास्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गयी है अतः शास्ति का आरोपण न्यायसम्मत नहीं है अतः आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 6 के तहत जो शास्ति आरोपित की है वह केवल प्रक्रियात्मक है क्योंकि इस धारा के तहत देय प्रवेश कर की 50 प्रतिशत तक की राशि की शास्ति आरोपित की जा सकती थी जो लगभग रूपये 85,000/— होती है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल रूपये 25,000/— की शास्ति ही आरोपित की है जो उचित एवं न्यायसम्मत है। कथन किया कि किसी व्यवहारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार कर जमा नहीं कराने पर शास्ति आरोपित नहीं किया जाना अनुचित होगा एवं प्रवेश कर अधिनियम की पालना नहीं करने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होगी।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की है कि आयातित लोडर पर कर आरोपणीय था अतः आरोपित कर एवं ब्याज विधिसम्मत होने से उसे यथावत रखा जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पर विचार किया गया एवं पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गम्भीर विचार करने के पश्चात् उसे प्रदत्त अधिकारों का युक्तियुक्त उपयोग करते हुए अधिकतम शास्ति आरोपित करने के बजाय रूपये 25,000/— की शास्ति ही आरोपित की है जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी उचित माना है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना किया जाना प्रमाणित है तथा स्वयं द्वारा कर तीन वर्षों तक जमा नहीं करवाया था एवं वर्ष 2003—04 में यह देय कर घोषित नहीं किया गया था बल्कि विक्रय कर

लगातार.....3

अधिनियम के तहत कर निर्धारण करने के समय वर्ष 2007–08 में यह प्रकरण प्रकाश में आया। इस तरह अपीलार्थी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना एवं कर जमा नहीं कराया जाना पूर्णतया प्रमाणित होने से आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

30/3/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य